

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई


क्रं./एफ- /1/सा.प्र.वि./विविध/2024/1672

भिलाई, दिनांक 29/02/24

//परिपत्र//

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग (छ.ग.) का आदेश क्रमांक 1029 दिनांक 17.02.2024 के परिपालन में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु नगर पालिक निगम, भिलाई अन्तर्गत पदस्थ समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने एवं चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करने हेतु निर्देशित किया जाता है। उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करने पर यातायात नियमों के अधीन कार्यवाही करते हुए विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करेंगे।


आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./एफ- /1/सा.प्र.वि./विविध/2024/1673
प्रतिलिपि :-

भिलाई, दिनांक 29/02/24

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता 1/2/3/4/5, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त 1/2, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. जोन आयुक्त जोन क्रमांक 1/2/3/4/5 नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. सर्व विभाग प्रमुख.....नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. अधीक्षक सामान्य प्रशासन विभाग, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाईट में अपलोड हेतु।


आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई